

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
118/2025

दायर दिनांक
10.06.2025

निर्णय दिनांक
24.06.2025

अनवान

1. रतनलाल पुत्र भैरूलाल जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. शंकर पुत्र उदा जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

वनाम

1. अशोक पुत्र भैरूलाल जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
2. कस्तुरी पुत्री उदा जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
3. गणेश पिता उदा जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
4. गीता पुत्री भैरूलाल जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
5. पुरण पुत्र भैरूलाल जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
6. भगु पुत्री उदा जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
7. भगु बाई पत्नी भैरूलाल जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
8. माया पुत्री भैरु जाति लोदा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
9. रामा पिता वेणीराम जाति भील आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. सुरेश पिता भैरूलाल जाति लौहार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपरिथति:- अधिवक्ता श्री सैयद फिरोज अली

प्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

—:: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा उचनारकलां पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमावंदी



सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 155 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1461/884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893 कुल किता 10 कुल रकबा 2.45 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 8 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के सहखातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 9, 10 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के विरुद्ध वकील प्रार्थीगण द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजीयात जैरबहस के सहखातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के सहखातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा उचनारकलां पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 155 की अभिलिखित कुल किता 10 कुल रकबा 2.45 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 हथियाना को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
(सपरेखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़